

राज्यपाल भाग-II



राज्यपाल (भाग-2)

गवर्नर्स कमेटी
(1971)

- इसने केंद्र को राज्य की राजनीतिक स्थिति के बारे में एक नियमित रिपोर्ट भेजने के लिये राज्यपाल का उत्तरदायित्व निर्धारित किया।
- यह रिपोर्ट आगे चलकर अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन) को लागू करने का कारण बन सकती है।

प्रमुख मुद्दे

- अनुच्छेद 356 को लागू करने में राज्यपाल की भूमिका - केंद्र द्वारा प्रायः इसका दुष्प्रयोग।
- मतभेद की स्थिति में राज्यपाल-राज्य सरकार की भूमिकाकार्यों के संबंध में कोई प्रावधान किया गया है।
- राज्यपाल की शक्तियों के प्रयोग के संदर्भ में कोई सर्वैधानिक दिशानिर्देश नहीं।
- अक्सर राज्य सरकारों द्वारा राज्यपाल के संदर्भ में केंद्र के एजेंट, कठपुतली और रबर स्टैप्प जैसे नकारात्मक सब्जेक्टों का उपयोग किया जाता है।

महत्वपूर्ण आरोग्य द्वारा की गई सिफारिशें

- प्रशासनिक सुधार आयोग (1968):
 - अनुच्छेद 356 के संबंध में राज्यपाल की रिपोर्ट वस्तुनिष्ठ होनी चाहिये और इसे राज्यपाल द्वारा अपने विवेक से लैपार किया जाना चाहिये।
- राजमन्त्रा समिति (1971):
 - संविधान से अनुच्छेद 356 और 357 को रद्द कर दिया जाए लेकिन केंद्र की मन्त्रालयीकारी के विरुद्ध आवश्यक प्रावधानों को बनाए रखें।
 - सरकारिया आयोग (1988):
 - अनुच्छेद 356 का उपयोग बहुत ही दुर्लभ मामलों में किया जाना चाहिये।
 - न्यायमूर्ति वी. चैत्रेया आयोग (2002):
 - अनुच्छेद 356 का उपयोग केवल अतिम उत्तराधिकार के रूप में नियमित विविध प्रावधानों के अंतर्गत सभी प्रक्रियाओं को समाप्त करने के बाद ही किया जाना सकता है:
 - अनुच्छेद 256 (संसद द्वारा बताए गए कानूनों के अनुपालन में राज्य को कार्रवकारी शक्ति)
 - अनुच्छेद 257 (राज्य की कार्रवकारी शक्ति जो संघ की कार्रवकारी शक्तियों को व्याप्ति न करे)
 - अनुच्छेद 355 (राज्य सरकारों द्वारा संविधान के प्रावधानों का अनुपालन करें)
 - पुंछी आयोग (2010):
 - अनुच्छेद 355 तथा 356 में संशोधन किया जाना चाहिये

- एस.आर. बोर्ड निर्णय (1994):
 - संवैधानिक तंत्र की विफलता राज्य में शासन चलाने में केवल एक कलिनाइ को ही नहीं बल्कि एक आभासी असंभवता को भी दर्शाती है। इस निर्णय में संवैधानिक तंत्र की विफलता को नियमालाखित रूपों में वर्णित किया गया:
 - राजनीतिक संकट
 - आतंकिक अंतर्दूद
 - पौरीतक असफलता
 - संघ कार्रवकारी शक्तियों के संघीयानिक नियेशों का पालन न करना
- नवाम रोब्या निर्णय (2016):
 - राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति (अनुच्छेद 163) मनमात्री नहीं होनी चाहिये, बल्कि उचित करण द्वारा निर्धारित होनी चाहिये
- बौ.पी. सिंहल वाद (2010):
 - राज्यपाल को हटाने के राष्ट्रपति के निर्णय को बाध्यकारी और वैध माना जाएगा लेकिन यदि राज्यपाल न्यायालय का रुख करता है, तो केंद्र को अपने निर्णय फैसले को सही सिद्ध करना होगा।